रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1140] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939
No. 1140] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/VAISAKHA 5, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2017

का.आ. 1287(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रुप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) अनुमोदित निधि साझा पैटर्न, के अनुसार राज्य सरकार के अधीन सम्बधित नोडल विभागों को अनुदान सहायता प्रदान करके केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (जिसे इसमें इसके पश्चात एनएमएसए कहा गया है) के एक घटक के रुप में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) योजना का प्रशासन कर रहा है, जिसमें भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय आविलित है।

और, मंत्रालय द्वारा दी जा रही अनुदान सहायता का उपयोग राज्य नोडल अभिकरणों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से किसानों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) और मूल्य संवर्धन कार्यकलापों (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) के लिए राज्य सरकारों के अधीन संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती हैं, अर्थात:-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के पात्र व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्यांक होने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, किन्तु वह इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने का इच्छुक है, तारीख **30.06.2018** तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन स्कीम का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग, से अपेक्षा की जाती है कि वह उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधा प्रदान करे जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामोनत नहीं कराया है और यदि संबद्ध ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई भी आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है तो राज्यों सरकार के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग से अपेक्षित है कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे।

परन्तु ऐसे कि व्यक्ति को आधार दिए जाने के समय तक ऐसे व्यक्तियों को, उक्त स्कीम के अधीन प्रासुविधा निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात्:-

(क) (i) उसकी आधार नामाकंन पर्ची, यदि उसने आधार के लिए नामाकंन करा लिया है; या

(ii) पैरा-2 के उप पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) बैंक पासबुक फोटो के साथ; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थाई खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) पासपोर्ट; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) सरकारी लैटर हैड पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी ऐसे सदस्य की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र; या (ix) राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज:

परन्तु यह और कि जो उपयुक्त दस्तावेज की जांच इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्वाध प्रासुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों में स्कीम के कार्यान्वयन का जिम्मेदार संबंधित विभाग सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात:—

(1) इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से और जिला कार्यालयों या उनके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें तारीख **30.06.2018** तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध सबसे निकटतम नामांकन केंद्र पर नामांकन करवाने की सलाह दी जा सकेगी । उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि निकट आसपड़ोस जैसे ब्लॉक या तहसील या तालुका में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण फायादाग्राही के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते है, तो राज्य सरकार में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा

होगी करना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों से राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से अभिहित संबंधित पदधारियों या कार्यान्वयन अभिकरणों के पास या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरा देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2-2/2017-आरएफएस-III]

आर. बी. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2017

S.O. 1287(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Centrally Sponsored Scheme of Rainfed Area Development (RAD) (hereinafter referred to as the Scheme) as a component of the National Mission for Sustainable Agriculture (hereinafter referred to as NMSA) by providing Grant-in-Aids to the concerned Nodal Departments under the State Governments, as per the approved funds sharing pattern, which involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, the Grant-in-Aid provided by the Ministry is used by the concerned Department under the State Governments for Integrated Farming System (IFS) and Value Addition Activities (hereinafter referred to as the benefits) to the farmers (hereinafter referred to as the beneficiaries) through the State Nodal Agencies (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30.06.2018, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrollment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned department responsible for implementation of the scheme under the State Government is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned department responsible for implementation of the scheme under the State Government is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing

Registrars of UIDAI or the Ministry may provide Aadhaar enrollment facilities by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or

(ii) Voter identity card; or

(iii) Ration Card; or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vi) Passport; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(ix) Any other documents as specified by the State Government **:**

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Governments shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices through its district offices or its Implementing Agencies shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30.06.2018, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government through the Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the State Government or Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 2-2/2017-RFS-III]

R.B. SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.29 15:49:11 +05'30'